

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अप्रैल 11, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 221 वाहनों का चालान ,02 वाहन से कुल 1,500/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 08 व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व मास्क न लगाने वाले कुल- 122 व्यक्तियों से 12200/- रुपये शमन शुल्क वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 15 व धारा 110 जी जा0फौ0 में 08 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त चौथी पुत्र शंकर नि0 खडखडिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-107/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता 1. राजेन्द्र पुत्र राममति चौधरा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे 60 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-156/21 2. अबा पुत्र कैलेसर नि0 छितौना थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 155/21 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र भुलोट नि0 करदह थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-46/21 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता मालती पत्नी नरेश नि0 कुइया महेशपुर थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-36/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तागण 1.निर्मला पत्नी उविणपीत निवासी रजापुर टेकुअहिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-79/20 2. संजू पत्नी सुरेश नि0 टेढी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 80/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. अमरजीत साहनी पुत्र मुन्नर नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 कुन्तल लहन नष्ट कर व 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 77/21 2. मीना पत्नी रामनयन केवट निवासी उपरोक्त कब्जे से 01 कुन्तल लहन नष्ट कर व 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 78/21 धारा- 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-17 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 10/11-04-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 29 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।